

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/15/2023 वाद

दायर दिनांक 19.01.2025

उनवान

1. छोगालाल पुत्र उदा जाति सालवी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. लेहरू पिता उदा जाति सालवी फौत के बजाय-
2/1- माधवलाल पुत्र लहरू जाति सालवी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2/2- बलराम पुत्र लहरू जाति सालवी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2/3- मोहनीबाई पत्नी लहरू जाति सालवी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
1. गोदुलाल पुत्र गोपु जाति सालवी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नारायणी पत्नी कस्तुर जाति सालवी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. रोशन पुत्र कस्तुर जाति सालवी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. लुणी पत्नी गोपु जाति सालवी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मोहनी पुत्री उदा पत्नी मगनीराम जाति सालवी आयु वयस्क निवासी धमाणा हाल मुकाम नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. गेहरी लाल पुत्र उदा जाति सालवी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
7. कालुराम पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
8. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।



उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट
अधिवक्ता श्री रोशनलाल जाट

-वादी
-प्रतिवादी सं० 1 से 4

-: वाद पत्र अन्तर्गत 53, 88-89, 188 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 19.01.2025

-:निर्णय:-

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में आराजी खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.7920 हैक्ट0, खाता संख्या 222 के आराजी संख्या 113 रकबा 1.45 हैक्ट0, आराजी संख्या 2239 रकबा 0.20 हैक्ट0, आराजी संख्या 2260 रकबा 0.32 हैक्ट0, आराजी संख्या 2262 रकबा 0.22 हैक्ट0, आराजी संख्या 779 रकबा 0.66 हैक्ट0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 2.85 हैक्ट0 तथा आराजी संख्या 2170 क्षेत्रफल 0.19 हैक्ट0 स्थित है जो राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। तथा निवेदन किया गया कि वादपत्र की चरण संख्या 1, 2 तथा 3 में अंकित आराजीयात का राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर पक्षकारगण के हक हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

कराया जाकर वादीगण के हक हिस्से की आराजीयात वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में तन्हा अंकित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

उक्त वादपत्र में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 07.02.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वादपत्र में मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में आराजी खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.7920 हैक्ट0 स्थित है तक ही बटवाडा की डिक्री की दाद रखे जाने के निवेदन से तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से उक्त प्राथमिक डिक्री निर्णय दिनांक 07.02.2024 में संशोधित निर्णय दिनांक 07.01.2025 से संशोधित प्राथमिक डिक्री निर्णय दिया गया जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 07.10.2025 से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 20.11.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में आराजी खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.7920 हैक्ट0 स्थित हैं गें तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 07.10.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

1. छोगालाल पिता उदा जाति सालवी सा0 देह खातेदार.

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1960 / 2	0.2475	पडत 1
योग	कुल किता-01	0.2475	

2. माधवलाल हिस्सा 1/3, बलराम हिस्सा 1/3 पिता लहरू, मोहनीबाई पत्नी लहरू हिस्सा 1/3 जाति सालवी सा0 देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धमाणा

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1960 / 1	0.2475	पडत 1
योग	कुल किता-01	0.2475	

3. गोदुलाल पुत्र गोपु हिस्सा 2/9, लुणीबाई पत्नी गोपु हिस्सा 2/9, रोशन पुत्र कस्तुर हिस्सा 1/9, नारायणी पत्नी कस्तुर हिस्सा 1/9, मोहनी पुत्री उदा हिस्सा 1/3 जाति सालवी सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1960 / 3	0.2970	पडत 1
योग	कुल किता-01	0.2970	



तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन